

1	धारा-4 की अधिसूचना के उपरान्त सामाजिक समाघात आंकलन निर्धारित करने की समय सीमा	अधिकतम 02 माह	अध्याय-2, पैरा 10(2)
2	सामाजिक समाघात रिपोर्ट पर लोक सुनवाई एवं प्रकाशन	कोई समय सीमा निर्धारित नहीं अनुमानित समय 15 दिन	अध्याय-2, पैरा 10 (3)
3	विशेषज्ञ समूह का गठन एवं सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना पर निर्णय	कोई समय सीमा नहीं (अधिकतम दो सप्ताह)	अध्याय-2, पैरा 11(1)
4	विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर अनुमोदन के उपरान्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की कार्यवाही	अधिकतम एक सप्ताह	अधिनियम की धारा 11 पुरानी धारा 4
5	धारा 11 की अधिसूचना के उपरान्त आपत्तियां प्रस्तुत करने की समय सीमा	आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय 60 दिन	अधिनियम की धारा 15 पुरानी धारा 5ए
6	आपत्तियों के निस्तारण की समय सीमा	आपत्ति कर्ता को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना होगा इस लिए लगभग 15-20 दिन का समय लगना स्वाभाविक है।	अधिनियम की धारा 15(2)
7	धारा 19 की अधिसूचना के सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत करने की समय सीमा	धारा-21 के अन्तर्गत नोटिस निर्गत के दिनांक से 30 दिन का समय आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित है	अधिनियम की धारा 21 पुरानी धारा 9
8	अभिनिर्णय की घोषणा	धारा 21 की नोटिस निर्गत के दिनांक से 30 दिन उपरान्त कभी भी अभिनिर्णय हो सकता है। अनुमानित समय लगभग 10-15 दिन	अधिनियम की धारा 26/31 पुरानी धारा 11
9	कब्जा दिये जाने की कार्यवाही	अभिनिर्णय घोषित होने की सूचना व प्रतिकर भुगतान की सूचना देकर किसी भी समय कब्जा प्राप्त किया जा सकता है।	अधिनियम की धारा 38 पुरानी धारा 16